

मानव संसाधन प्रबंधन विभाग,  
प्रधान कार्यालय, बड़ौदा द्वारा जारी

भारत में स्थित सभी शाखाओं/ कार्यालयों के लिए परिपत्र

महोदय/ महोदया,

विषय : वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए पेंशनभोगी स्टाफ सदस्यों से आयकर गणना हेतु निवेश की घोषणा.

भारत सरकार ने 2020 से दो प्रकार की आयकर व्यवस्था शुरू की हैं; ए) पुरानी कर व्यवस्था और बी) नई कर व्यवस्था. तदनुसार, कर व्यवस्था चयन का विकल्प एचआरकनेक्ट के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है.

अब पेंशनभोगी स्टाफ एचआरकनेक्ट पोर्टल में लॉग इन कर सकते हैं और वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए पुरानी कर व्यवस्था या नई कर व्यवस्था के विकल्प का चयन कर सकते हैं.

एक बार विकल्प का चयन करने के बाद, जिन्होंने पुरानी कर व्यवस्था का चयन किया है, उन्हें वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए कर गणना हेतु अपने निवेश की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी.

जिन्होंने नई कर व्यवस्था के विकल्प का चयन किया है, उन्हें किसी प्रकार के निवेश की घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है.

यदि पेंशनभोगी द्वारा किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो डिफॉल्ट रूप से पुरानी कर व्यवस्था स्वीकार कर ली जाएगी और इसलिए, ऐसे पेंशनभोगियों को निवेश की घोषणाएं प्रस्तुत करनी होंगी.

कर व्यवस्था से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश एचआर कनेक्ट में उपलब्ध है.

कृपया नोट करें कि एक बार चयन किया गया विकल्प अपरिवर्तनीय है और टीडीएस की गणना हेतु वित्तीय वर्ष के दौरान इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता. पेंशनभोगी स्टाफ सदस्य एचआर कनेक्ट पोर्टल के माध्यम से अपने निवेश की घोषणाएं स्वयं ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं और इसी के आधार पर टीडीएस की कटौती केंद्रीकृत रूप से की जाएगी.

लॉगिन करने हेतु यूआरएल: <https://hrconnect.bankofbaroda.co.in> है जिसे पीसी / और एंड्रॉइड / आईओएस स्मार्ट फोन पर इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है.



विकल्प चुनने और घोषणा प्रस्तुत करने के लिए एचआर कनेक्ट पोर्टल प्रत्येक माह की 02 से 25 तारीख तक उपलब्ध रहेगा. 25 तारीख के बाद, पोर्टल में निवेश मेनू डिसेबल हो जाएगा और यह अगले माह की 02 तारीख से उपलब्ध होगा. जिन्होंने नई कर व्यवस्था का चयन किया है, उनके लिए निवेश घोषणा पृष्ठ उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि वे किसी भी छूट/कटौती के लिए हकदार नहीं होंगे.

पेंशनभोगी को जनवरी, 2023 माह में पेंशन का भुगतान करने वाली शाखा को पोर्टल में किए गए निवेश का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा. यदि इसे प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो घोषित निवेशों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और पेंशन पर टीडीएस की पुनर्गणना पूरे वित्तीय वर्ष के लिए की जाएगी और जनवरी, 2023 से मार्च, 2023 तक देय पेंशन से उसकी कटौती की जाएगी.

शाखाओं को निम्नलिखित कार्रवाई बिंदु सुनिश्चित करने होंगे:

1. बीओबी स्टाफ पेंशनभोगी के पैन नंबर को उनके पेंशन बचत बैंक खाते में अद्यतन करना.
2. पेंशन भुगतान करने वाली शाखा 25 जनवरी-2023 से पहले पेंशनभोगियों द्वारा प्रमाणों के साथ प्रस्तुत किए गए निवेश संबंधी विवरणों को सत्यापित करेंगी जो उनके एचआर कनेक्ट में सत्यापन हेतु लंबित होंगे. इसमें किसी भी शाखा के किसी भी अधिकारी द्वारा निवेश प्रमाण को सत्यापित करने का प्रावधान है. इस लिए, यदि कोई पेंशनभोगी किसी भी शाखा का संपर्क करता है तो शाखा का कोई भी अधिकारी सत्यापित कर सकता है.
3. यदि एचआर कनेक्ट पोर्टल में सत्यापन/प्राधिकरण के अभाव में टीडीएस की कटौती के कारण कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पेंशन भुगतान करने वाली शाखा के संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे.

संलग्नक के अनुरूप एक नोटिस एचआर कनेक्ट पोर्टल में अपलोड किया जा रहा है और शाखाओं को सूचित किया जाता है कि पेंशनभोगियों को निवेश घोषणा प्रस्तुत करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करें.

एस कन्नन

एस कन्नन

प्रमुख (एचआरसीपीसी एवं सेवांत लाभ)

नाम

✗

9

ISSUED BY  
HRM DEPARTMENT  
HEAD OFFICE, BARODA

**CIRCULAR TO ALL BRANCHES /OFFICES IN INDIA**

Sir/Madam,

**Re: Investment Declarations for Income Tax Calculations from Staff Pensioners for the Financial Year 2022-2023**

The Government of India has introduced two types of Income Tax Regimes since 2020; a) Old Tax Regime & b) New Tax Regime. Accordingly, the tax Regime Option for submission is made available through HRConnect.

Staff Pensioners can now login to the HRConnect Portal and exercise their option for choosing the Old Tax Regime OR New Tax Regime for the financial year 2023.

Once the option is exercised, those who have chosen the Old Tax Regime will have to submit their Investment declaration for tax calculations for the Financial Year 2022-2023.

Those who opted for New Tax Regime need not submit any Investment Declaration.

If No Option is exercised by the pensioner, by default Old Tax regime will be considered. And hence, such pensioners have to submit Investment declaration.

The detailed guidelines about the tax regimes are available in HRConnect.

Please note, the option once exercised is irrevocable and cannot be changed during the Financial Year for TDS calculations. The pensioners can submit their investment declarations themselves online through HRConnect portal, and based on the same, TDS would be deducted centrally.

**The URL for login is: <https://hrconnect.bankofbaroda.co.in> which can be accessed over internet on PC/and on Android/IOS smart phones.**

The HR Connect portal for choosing option and to submit declaration would be available from 02<sup>nd</sup> to 25<sup>th</sup> of every month. After 25<sup>th</sup>, the investment menu in the portal will be disabled and it would be made available from 02<sup>nd</sup> of the succeeding month. For those who have opted New Tax regime, investment declaration page will not be visible as they shall not be entitled for any exemptions/deductions.

The pensioner will have to submit the proof of investment made in the portal to pension paying branch in the month of January 2023. If it is not submitted, the Investments declared will be ignored and TDS on pension will be recalculated for the entire financial year and deducted from pension payable from January 2023 to March 2023



प्रधान कार्यालय : मा.सं.प्र. - छठा तल, "बड़ौदा भवन", आर.सी.दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा-390007. गुजरात. (भारत).

Head Office : HRM - 6<sup>th</sup> Floor, "Baroda Bhavan", R. C. Dutt Road, Alkapuri, Baroda - 390007. Gujarat (INDIA).

ई-मेल/E-mail : pension.ho@bankofbaroda.com, वेबसाइट/Website : www.bankofbaroda.com

**Branches will have to ensure the following action points:**

1. Updating PAN no of BOB Staff pensioner in their pension SB A/Cs.
2. Pension paying branch shall verify the investment details submitted by the pensioners with proofs before 25th of January-2023 which will be pending for verification in their HR Connect. There is provision for verification of investment proof by any officer of any branch. Therefore, if any pensioner approaches any branch, any officer of the branch can verify the same.
3. The Concerned Officer of pension paying branch will be held responsible if any dispute arises due to deduction of TDS for want of verification/authorisation in HR Connect portal.

Notice as per enclosure is being uploaded in the HR Connect portal and branches are advised to guide the pensioners in submitting the Investment Declaration

  
**S Kannan**  
**Head (HRCPC & Terminal Benefits)**